

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / 2120 / तक / प्र.अ. / लो०स्वा०यां०वि० /
प्रति:-

भोपाल दिनांक 21.3.05

1. समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
.....परिक्षेत्र.....
2. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
[.....मण्डल/परियोजना](#) मण्डल.....
3. समस्त कार्यापालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड/परियोजना खंड.....

विषय:- निविदा आमंत्रण के पूर्व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करना!

-----00-----

पुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा अवगत कराया जाता है कि निर्माण कार्या के लिए कार्या के क्रियान्वयन में यह पाया गया है कि भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व निविदा आमंत्रण कर कार्यदेही जारी का दिये जाते है तत्पश्चात यदि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो ठेकेदार को निविदा के "एक्सलेशन क्लोज " के तहत अतिरिक्त भुक्तान प्राप्त करने का हक प्राप्त हो जाता है!इस प्रकार शासन की अनावश्यक धनहानि होती है!

अतः यह सुनिश्चित करें कि कोई भी निर्माण कार्य कराने के पूर्व भूमि अधिग्रहण से संबंधित पूर्ण कार्यवाही कर ली गई है!तत्पश्चात ही निविदा आमंत्रण इत्यादि की कार्यवाही की जावे !

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि शासन /विभाग का किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न होने पावे!

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
म.प्र. भोपाल